फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), चौमूं (जिला–जयपुर ग्रामीण)

सूरा बनाम फूली देवी वगै०

मुकदमा नम्बर :– 117/2016 वाद

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	25/11/24	प. वादी उपरोक्त विवादित कृषि के वादी के 1/7 भाग, विक्रय पत्र से रूप हुआ कृषि होने से वादी का वाद स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखा किया गया जाकर हस्ताक्षर पत्रावली किया गया। उप पत्रावली [illegible] बाहर होकर [illegible] हो तथा दाखिल दफ्तर [illegible] हो हस्ताक्षर सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) चौमूं (जयपुर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:51:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा0ट्रैक/मु0) चौमूँ, जिला–जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– कनक जैन (R.A.S.)

मुकदमा नं0:–117/2016

उनवान

भूरा पुत्र स्व0 श्री गोविन्दराम, जाति अहीर, निवासी ग्राम अमरपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादी–

बनाम

1. फूली देवी पत्नी स्व0 बालू
2. माली देवी पुत्री स्व0 बालू
3. जगदीश पुत्र स्व0 बालू
4. गोपाल पुत्र स्व0 बालू
5. महेन्द्र पुत्र स्व0 बालू
6. रामेश्वरलाल पुत्र स्व0 बालू
7. बाबूलाल पुत्र स्व0 बालू
   समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम अमरपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
8. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
9. उपपंजीयक चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
10. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा तिगरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा दुरुस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक :–25.11.2024

वादी की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वाके ग्राम अमरपुरा, पटवार हल्का अमरपुरा, भू0अ0नि0 क्षेत्र खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित खाता संख्या 170 के आराजी खसरा नम्बर 357 रकबा 0.76 है0 कुल किता 1 का कुल रकबा 0.76 है0 भूमि स्थित है। उक्त वर्णित भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 के पिता बालू पुत्र गोविन्दराम के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जिसे विवादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बधित किया गया है। उक्त विवादग्रस्त भूमि के 1/7 भाग को वादी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 05.09.2001 को प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 के पिता बालू पुत्र गोविन्दराम से खरीद कर मौके पर काबिज होकर [illegible] उपभोग कर रहा है। उक्त विक्रय पत्र उपपंजियक चौमूं के [illegible] जाकर दिनांक 06.09.2021 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 115 क्रमांक [illegible] 1266, पृष्ठ संख्या 67 एवं अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 242 के पृष्ठ संख्या 64 से 68 पर पंजीबद्ध किया गया है। तब से ही वादी मौके पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है तथा अपने

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:51:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक)
चौमूँ (जयपुर)

Scanned with OKEN Scanner

हिस्से का लगान सरकार को अदा करता चला आ रहा है। उक्त विवादग्रस्त आराजीयात् में वादी अपने खरीदशुदा हिस्से पर खरीद के बाद से निरन्तर निर्बाध रुप से काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग करता आ रहा है तथा वादी को तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण खोल दिया जावेगा जिस कारण वादी को उक्त विवादग्रस्त भूमि का नामान्तकरण वादी के हक में नहीं खोले जाने की जानकारी नहीं थी। वादी एक अनपढ एवं काश्तकार पेशा व्यक्ति है जिस कारण उसे नामान्तकरण सम्बन्धित कार्यवाही की जानकारी नहीं है ना ही भूमि के रिकॉर्ड को वादी समझता है। रिकॉर्ड से अनभिज्ञ होने के कारण वादी द्वारा उक्त नामान्तकरण के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी। उक्त विवादग्रस्त आराजीयात् में निहित प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा0 7 के 1/7 हिस्से का वादी द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 के पिता बालू पुत्र गोविन्दराम द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र वादी को बैचान किये जाने के बाद से वादी मौके पर काबिज काश्त रहकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा था तथा उक्त भूमि का नामान्तकरण वादी के हक में खोलने हेतु वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 8 से निवेदन करने पर प्रतिवादी संख्या 8 सदैव ही आश्वासन देता रहा कि नामान्तकरण आपके पक्ष में खोल देंगे। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा0 7 के पिता बालू पुत्र गोविन्दराम द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बैचान की गई भूमि का वादी द्वारा उक्त विवादग्रस्त हिस्से का उपयोग उपभोग किया जा रहा है परन्तु प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा0 7 द्वारा वादी को बैचान की गई भूमि का विक्रय पत्र का नामान्तकरण वादी के हक में खुलवाने का बार–बार निवेदन करने के उपरान्त भी नहीं खुलवाया गया हैं। दिनांक 12.07.2016 को प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा0 7 अपने साथ अन्य अपरिचित व्यक्तियों को लेकर आये तथा पूर्व में किये गये विक्रय पत्र दिनांक 05.09.2001 की भूमि जिस पर वादी काबिज होकर काश्त कर रहा है, को अपने हक अधिकारों से बाहर जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 के पिता के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित होने का फायदा उठाते हुए दीगर व्यक्ति को बैचान के उद्देश्य से दिखने लगे, जिस पर वादी द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 से इसका कारण पूछा तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 द्वारा वादी को धमकी दी गई कि उक्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में हमारे पिता बालू पुत्र गोविन्दराम के नाम से दर्ज है जिसे हमारे द्वारा बिना किसी कब्जे के अवैध एवं नाजायज प्रतिफल प्राप्त कर अन्य के हित व पक्ष में बैचान हस्तान्तरण कर देंगे जिसका की हक अधिकार कतई प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा0 7 को प्राप्त नहीं है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 की उक्त धमकी की वजह से वादी को यह वाद पत्र न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत करना लाजमी आया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:51:23 IST
Reason: Self Attested

वादी ने उक्त वाद पत्र पेश कर निम्न अनुतोष चाहा है कि वाद वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 सालिम डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 के पिता द्वारा किये गये वैध विक्रय पत्र के आधार पर विवादग्रस्त भूमि के 1/7 भाग की

सहायक कर्मचारी
(फास्ट ट्रैक)
चौमूँ (जयपुर)

Scanned with OKEN Scanner

घोषणा वादी के हक में की जावें तथा तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 के पिता बालू पुत्र गोविन्दराम के स्थान पर वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड अंकित किया जावें। वाद वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द करवाने के अधिकारी है कि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 विधि विरुद्ध तरीके से पिता के नाम दर्ज खातेदारी के आधार पर विवादित आराजीयात् का विक्रय एवं हस्तान्तरण नहीं करें, ना ही विवादग्रस्त आराजीयात के वादी द्वारा किये जा रहे उपयोग उपभोग में व्यवधान कारित करें, ना ही विवादित आराजीयात् से वादी को जबरिया बेदखल कर जबरिया कब्जा ही करें, वादी प्रतिवादी संख्या 8 को भी जरिये स्थायी निषेधाज्ञा इस कदर पाबन्द करवाने के अधिकारी है कि प्रतिवदी संख्या विवादित आराजीयात् के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 के पिता के नाम दर्ज हिस्से 1/7 भाग के सम्बन्ध में वादी के अलावा अन्य किसी के भी हक मे नामान्तकरण दर्ज नहीं करें, ना ही राजस्व रिकॉर्ड में वादी के नाम के अलावा अन्य कोई परिवर्तन अथवा परिवर्धन करें। प्रतिवादी संख्या 9 विवादग्रस्त आराजीयात् बाबत् किसी भी हस्तान्तरण पत्र या विलेख पत्र को अपने समक्ष प्रस्तुत होने पर तस्दीक नहीं करें अर्थात् प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 विवादग्रस्त आराजीयात् के राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज किया गया तथा प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी बावजूद तामिल अनुपस्थित अतः इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में तहसीलदार चौमूं से विवादग्रस्त आराजयात के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार चौमूं ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि उक्त भूमि की खातेदारी बालू पुत्र गोविन्दराम जाति अहीर सा0 देह खातेदार राहिन आ0बी0सी0 बैंक शाखा तिगरिया के दर्ज रिकॉर्ड है। खातेदार बालू पुत्र गोविन्दराम की मृत्यु हो चुकी है। जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 05.09.2001 को खातेदार बालू पुत्र गोविन्दराम द्वारा प्रतिवादी को खसरा नम्बर 357 रकबा 0.76 है0 भूमि में से हिस्सा 1/7 का बेचान प्रतिवादी भूमि पुत्र गोविन्दराम जाति अहीर सा0 अमरपुरा जरिये पंजिकृत विक्रय पत्र पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 115 क्रम संख्या 1266, पृष्ठ संख्या 67 एवं अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 242 के पृष्ठ संख्या 64 से 68 पर पंजीबद्ध किया गया। उक्त खसर नम्बर 357 रकबा 0.76 है0 भूमि के हिस्सा 1/7 पर प्रतिवादी मौके पर कब्जा काश्त कर रहा है एवं खसरा नम्बर 357 के दक्षिणी पूर्वी कौने में हिस्सुनुसार मौके पर पानी का हौद बोरिंग बना हुआ है। वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में प्रदर्श संख्या 1 से प्रदर्श संख्या 2 तथा साक्ष्य के रुप में साक्ष्य शपथ–पत्र PW1 भूरा पुत्र बालूराम, PW2 मुरलीधर पुत्र शंकरलाल, PW3 प्रभातीलाल यादव पुत्र भगवानसहाय के पेश किये गये जो शामिल पत्रावली किये गये।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक)
चौमूं (जयपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:51:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

प्रकरण में वकील वादी की बहस सुनी गई। बहस मे वकील वादी ने उन्ही तथ्यों को दोहराया जोकि वाद पत्र में अंकित है। प्रकरण में वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, साक्ष्य शपथ पत्र का बगौर अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। उपरोक्त विवेचनानुसार एवं न्यायालय अभिमत में विवादित भूमि में वादी के द्वारा जरिये विक्रय पत्र के आधार पर क्रय की गई भूमि है जिससे वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री किया जाकर आदेश दिया जाता है कि विवादग्रस्त आराजी खाता संख्या 170 के आराजी खसरा नम्बर 357 रकबा 0.76 है0 कुल किता 1 का कुल रकबा 0.76 है0 वाके ग्राम अमरपुरा, पटवार हल्का अमरपुरा, भू0अ0नि0 क्षेत्र खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के पिता स्व0 बालू पुत्र गोविन्दराम के नाम दर्ज हिस्से में से, विक्रय पत्र दिनांक 05.09.2001 के अनुसार वादी भूरा पुत्र स्व0 गोविन्दराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर दुरुस्ती की जावें। विवादित भूमि में शेष हिस्सा बेदस्तुर रखा जावें। तद्नुसार इन्द्राज दुरुस्ती किया जावे। डिक्री जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 25.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुल न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फा0ट्रै0 / मुख्यालय)चौमूँ

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:51:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

मुकदमा सं0–117/2016
उनवान– भूरा बनाम फूली
निर्णय दिनांक– 25.11.2024

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0) चौमूँ, जिला–जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– रतन कौर(R.A.S.)

मुकदमा नं0:–117/2016

उनवान

भूरा पुत्र स्व0 श्री गोविन्दराम, जाति अहीर, निवासी ग्राम अमरपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादी–

बनाम

1. फूली देवी पत्नी स्व0 बालू
2. माली देवी पुत्री स्व0 बालू
3. जगदीश पुत्र स्व0 बालू
4. गोपाल पुत्र स्व0 बालू
5. महेन्द्र पुत्र स्व0 बालू
6. रामेश्वरलाल पुत्र स्व0 बालू
7. बाबूलाल पुत्र स्व0 बालू
   समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम अमरपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
8. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
9. उपपंजीयक चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
10. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा तिगरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा दुरुस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नं0:–117/2016

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादीगण व प्रतिवादीगण मिनजामिन मुद्दई रूबरू श्रीमती कनक जैन आरएएस मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि–

विवादग्रस्त आराजी खाता संख्या 170 के आराजी खसरा नम्बर 357 रकबा 0.76 है0 कुल किता 1 का कुल रकबा 0.76 है0 वाके ग्राम अमरपुरा, पटवार हल्का अमरपुरा, भू0अ0नि0 क्षेत्र खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के पिता स्व0 बालू पुत्र गोविन्दराम के नाम दर्ज हिस्से में से, विक्रय पत्र दिनांक 05.09.2001 के अनुसार वादी भूरा पुत्र स्व0 गोविन्दराम को खाते[illegible]र घोषित किया जाकर वादी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल[illegible] की जावें। विवादित भूमि में शेष हिस्सा बेदस्तुर रखा जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:31:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रैक)
चौमूँ (जयपुर)

Scanned with OKEN Scanner

मुकदमा सं0–117/2016
उनवान– भूरा बनाम फूली
निर्णय दिनांक– 25.11.2024

निजी ....मबलिक .... बाबत ....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक .... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 25.11.2024 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तखत.......
ओहदा..........
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) चौमूं (जयपुर)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. स्टाम्प वजह सबूत 4. महन्ताना वकील 5. खर्चा गवाहन 6. फीस कमिश्नर 7.बाबत इजराय हुक्मनामा 8.मुतफरिक	2 1	1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. महन्ताना वकील 4. खर्चा गवाहन 5. फीस कमिश्नर 6.बाबत इजराय हुक्मनामा 7.मुतफरिक	0
जोड़	3	जोड़	0

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) चौमूं (जयपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:51:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner